संख्या-266/2025/180/22-2-2025-17(1412)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2025

विषय:-जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री किशन लाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-1567/प्रोबे0-5/दया0/जि0का0 अलीगढ़-3281टी0सी0, दिनांक 10.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री किशन लाल, ग्राम-ऊतरा, थाना-सासनी, जनपद-अलीगढ़ वर्तमान जनपद-हाथरस का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी रंजिश के कारण दिनांक 31-12-1981 के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा, फरसा व देशी पिस्टल से मारकर मोहनलाल नामक व्यक्ति की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-94/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 15.06.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.01.2008 द्वारा निर्णीत करते हुये सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.07.2023 तक अपरिहार 03 वर्ष **11** माह 11 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष 01 माह 14 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 09.07.2023 तक अपरिहार 03 वर्ष 11 माह 11 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-620/2022) पुत्र श्री किशनलाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ वर्तमान जनपद-हाथरस की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-266/2025/180(1)/22-2-2025-17(1412)/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कि0 मिस रिट याचिका सं0-16722/2024 चन्द्रपाल बनाम उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।